

भाग १

१. निर्धारिती का नाम (घोषणाकर्ता)		२. निर्धारिती का पैन <sup>१</sup>	३. स्थिति <sup>२</sup>
४. पिछला वर्ष <sup>३</sup> (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)	५. आवासीय स्थिति <sup>४</sup>	६. फ्लैट / द्वार/ ब्लॉक नं	७. परिसर का नाम
८. सड़क / गली / लेन	९. क्षेत्र / इलाका	१०. नगर / शहर / जिला	११. राज्य
१२. पिन	१३. ईमेल आईडी (केवल बड़े अक्षर में)	१४. टेलीफोन नं (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं	

१५. (क) क्या टैक्स का मूल्यांकन किया गया है<sup>५</sup> :  हाँ  नहीं (ख) यदि हां, तो आकलन के लिए नवीनतम मूल्यांकन वर्ष \_\_\_\_\_

१६. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है (भारतीय रुपये में) \_\_\_\_\_ १७. पिछले साल की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम १५ में उल्लिखित आय शामिल की जानी है<sup>६</sup> \_\_\_\_\_

१८. पिछले वर्ष के लिए दाखिल किए गए फॉर्म नं १५ (जी) का विवरण इस फॉर्म के अलावा यदि कोई हो<sup>७</sup>

(क) दाखिल किए गए फॉर्म नंबर १५ (जी) की कुल संख्या	(ख) आय की कुल राशि, जिसके लिए फॉर्म नं १५(जी) दाखिल किया गया था

१९. आय का विवरण, जिसके लिए घोषणापत्र दाखिल किया गया है

क्रमांक	प्रासंगिक निवेश / खाता, आदि की पहचान संख्या <sup>८</sup>	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके तहत कर काटा जायेगा	आय की राशि

घोषणा / सत्यापन<sup>९</sup>

\*मैं / हम \_\_\_\_\_ एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के अर्थ में भारत के निवासी है। \* मैं / हम एतद्वारा यह घोषित करता / करती / करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही, सम्पूर्ण और सच्चा है और इस फार्म में उल्लिखित आय आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६० से ६४ के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है। मैं / हम आगे घोषित करता / करती / करते हैं कि कॉलम १६ में निर्दिष्ट उल्लिखित \* आय / आय सहित \* मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय \* और कॉलम १८ में निर्दिष्ट \* आय की कुल राशि आयकर अधिनियम, १९६१ के प्रावधानों के अनुरूप परिकलित की गई है, जो मूल्यांकन वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए शुन्य होगी।

मैं / हम \_\_\_\_\_ यह भी घोषित करता / करती / करते हैं कि \* मेरी / हमारी मूल्यांकन वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष की कॉलम १८ में निर्दिष्ट \* आय की कुल राशि और \* आय / कॉलम १६ में निर्दिष्ट राशि, अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर<sup>१०</sup>

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर<sup>१०</sup>

भाग २: (भाग १ के कॉलम १६ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भरा जाना है)

१. भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम		२. विशिष्ट पहचान संख्या <sup>११</sup>	३. भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पैन
४. परिसर का नाम		फ्लैट / द्वार/ ब्लॉक नं	सड़क / गली / लेन
क्षेत्र / इलाका	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन

५. भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का टैन(TAN)	६. ईमेल आईडी (केवल बड़े अक्षर में)
७. टेलीफोन नं (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल न	८. आय की राशि का भुगतान <sup>१२</sup>
९. वह तिथि जिस पर घोषणा प्राप्त हुई है(दि.दि/म.म./व.व)	१०. प्रदत्त/ जमा की गयी आय का दिनांक (दि.दि/म.म./व.व)

स्थान : \_\_\_\_\_  
दिनांक : \_\_\_\_\_

भाग १ के कॉलम १६ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

### कृपया ध्यान दें:

\*जो भी लागू नहीं है, उसे हटाएं।

- १) धारा २०६ एए (२) के प्रावधानों के अनुसार, धारा १९७ए (१) या १९७ए (१ए) के तहत घोषणा अवैध होगी, यदि घोषणाकर्ता अपने वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) को प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- २) घोषणा धारा १९७ए (१) के तहत एक व्यक्ति और धारा १९७ए (१ए) के तहत किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा सुसज्जित किया जा सकता है।
- ३) वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।
- ४) कृपया आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के प्रावधानों के अनुसार आवासीय स्थिति का उल्लेख करें।
- ५) यदि आकलन वर्ष जिसमें घोषणा दर्ज की गयी है उससे पहले के छह मूल्यांकन वर्षों में से किसी भी आकलन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, १९६१ के प्रावधानों के तहत कर निर्धारित किया जाता है, तो कृपया "हाँ" का उल्लेख करें।
- ६) पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें, जिसके लिए यह घोषणा की गई है, जिसमें आय की राशि भी शामिल होगी, जिसके लिए यह घोषणा की गई है।
- ७) यदि पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को दाखिल करने से पहले फॉर्म नं १५जी में कोई भी घोषणा दर्ज की गई है, तो कुल फॉर्म नं १५जी की संख्या के साथ कुल आय का उल्लेख करें, जिसके लिए घोषणा दर्ज की गई थी।
- ८) शेयरों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा की खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजना, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि का उल्लेख करें।
- ९) उस क्षमता को इंगित करें जिसके तहत एक एचयूएफ, एओपी, आदि की घोषणा सुसज्जित की गई है।
- १०) घोषणा/ सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही, सच और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २७७ के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और सजा पर दंडनीय होगा-
  - (i) पच्चीस लाख रुपये से अधिक कर की चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने का कठोर कारावास की सजा होगी, जो सात साल और जुर्माना के साथ बढ़ सकती है;
  - (ii) अन्य किसी मामले में, न्यूनतम तीन महीने का कठोर कारावास की सजा होगी, जो दो साल और जुर्माना के साथ बढ़ सकती है।
- ११) भाग १ के कॉलम १६ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नंबर १५जी को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करनी होगी और इस संदर्भ संख्या को आयकर नियमों के नियम ३१ए(४) (vii), १९६२ में निर्धारित विवरणों के साथ रिपोर्ट करें, उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में। यदि उस व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नंबर १५एच भी प्राप्त हुआ है, तो कृपया फॉर्म नंबर १५जी और फॉर्म नंबर १५एच के लिए अलग-अलग क्रम संख्या श्रृंखला आवंटित करें।
- १२) भाग १ के कॉलम १६ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा, जहां धारा १९७ ए या के उप- धारा (१) या उप-धारा (१ए) में निर्दिष्ट वर्ष की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिसे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि को पार करती है। पात्रता तय करने के लिए, उसे आय या कुल राशि की सत्यापन की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है, जैसी स्थिति हो, जिसे कि कॉलम १६ और १८ में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया गया है।